तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.न. 23A/2023 भरतसिंह बनाम राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 28/10/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित पत्रावली ~~बहस~~ में अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/11/24 को पेश हो। Rahul	
11/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul **उपखण्ड अधिकारी** **उच्चैन (भरतपुर)**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 23A/2023

1. भरतसिंह पुत्र मुरारीलाल जाति जाट निवासी फतेहपुर तहसील उच्चैन।

....................प्रार्थी

वनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्त किये जाने बावत्।

उपस्थिति

1.श्री गोरधन सिंह एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–11.11.2024**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा नम्वर 580 रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम भौंट तहसील उच्चैन में स्थित है जिसमें प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है उक्त नम्बर में प्रार्थी का नाम भरतसिंह के स्थान पर भगतसिंह दर्ज हो गया है एवं अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भरतसिंह दर्ज है। उक्त गलत अंकन की जानकारी प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 05.11.2019 को अपना किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतू हल्का पटवारी के पास जाने पर हुई जब उन्होंने भरतसिंह के नाम से फाईल बनाने से मना किया। प्रार्थना पत्र दुरस्ती स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम भगतसिंह के स्थान पर भरतसिंह किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी द्वारा जवाव पेश कर निवेदन किया है कि जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में खसरा नम्वर 1858,1859 में भगतसिंह पुत्र मुरारीलाल हि. 1/3 जाति जाट निवासी फतेहपुर दर्ज है। संवत् 2074 की जमाबंदी में भी प्रार्थी का नाम भगतसिंह पुत्र मुरारीलाल दर्ज है पुर्व की जमावंदी वीघा–बिस्वा संवत् 2070–73 में साविक ख0नं0 1814–1580 में भी प्रार्थी का नाम भगतसिंह पुत्र मंरारीलाल दर्ज है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी का नाम भगतसिंह के स्थान पर भरतसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड, जवाव तहसीलदार एवं प्रार्थी द्वारा पेश अन्य दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम

Rahul
11/11

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

पंचायत द्वारा पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। सरपंच फतेहपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रार्थी के नाम में अशुद्धि दौराने रजिस्ट्री हुई है एवं तहसीलदार उच्चैन की रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का नाम जमावंदी में शुरू से ही भगतसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाही गई दादरसी उक्त प्रार्थना पत्र के तहत नहीं दी जा सकती।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul 11/11

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)